

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड

परिपत्र

सीआईआर/एमआरडी/डीपी/24/2014

08 अगस्त, 2014

सेवा में,

सभी स्टॉक एक्सचेंजें

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय:-स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री हेतु पेशकश (ओएफएस) के ढांचे में विस्तार।

1. बिक्री की पेशकश तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिनांक 18 जुलाई, 2012 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/18/2012 के तहत जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 25 जनवरी, 2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/04/2013 और दिनांक 30 मई, 2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/17/2013 के तहत संशोधित किया गया है।
2. हालांकि ओएफएस तंत्र का प्रवर्तकों की हिस्सेदारी का विनिवेश करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, फिर भी बाजार से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि ओएफएस में खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है, ताकि अन्य बड़े शेयरधारक ओएफएस तंत्र का उपयोग कर सकें और इस ढांचे का उपयोग करने के लिए कंपनी के दायरे में विस्तार हो सके।
3. तदनुसार, ओएफएस के ढांचे को निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा:-
 - 3.1 ओएफएस तंत्र अंतिम चार संपन्न तिमाहियों में से किसी में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ 200 कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा।
 - 3.2 पात्र कंपनियों का कोई ऐसा गैर-प्रवर्तक शेयरधारक, जिसके पास न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयर पूंजी धारित हो, वह भी ओएफएस तंत्र के माध्यम से शेयरों की पेशकश कर सकता है।
 - 3.3 यदि कोई गैर-प्रवर्तक शेयरधारक ओएफएस तंत्र के माध्यम से शेयरों की पेशकश करता है, तो उन कंपनियों के प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह कंपनियां शेयरों की खरीद के लिए ओएफएस में भाग ले सकती हैं, बशर्ते, सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 और सेबी (शेयरों का सार्थक अधिग्रहण

और अधिकार में लेने) विनियम, 2011 के लागू उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

- 3.4 पेशकश के आकार का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु खुदरा निवेशक का अभिप्राय वह व्यक्तिगत निवेशक होगा, जो सभी एक्सचेंजों में कुल मिलाकर अधिकतम 2 लाख रुपये के कुल मूल्य के शेयरों के लिए बोली लगाएगा। यदि एक्सचेंजों में खुदरा श्रेणी में संचित बोली मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक हो, तो ऐसी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3.5 व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों के पास खुदरा श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी में बोली लगाने का विकल्प उपलब्ध होगा। तथापि, यदि ऐसे निवेशकों का संचित बोली मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक हो तो खुदरा श्रेणी की बोलियां अपात्र बन जाएंगी।
- 3.6 न्यूनतम मूल्य, जिस पर समस्त पेशकश की बिक्री हो जाए उसका निर्धारण सभी वैध बोलियों के आधार पर किया जाएगा। खुदरा श्रेणी में आरक्षित मूल्यों तथा गैर-खुदरा श्रेणी में प्राप्त बोलियों के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण अलग-अलग किया जाएगा।
- 3.7 न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के उपरांत खुदरा निवेशकों के लिए पेशकश में आरक्षित शेयर खुदरा निवेशकों की पात्र बोलियों के प्रति आबंटित किए जाएंगे। यदि कोई अप्रयुक्त हिस्सा बच जाए, तो उसकी पेशकश गैर-खुदरा श्रेणी के निवेशकों को की जाएगी। यदि न्यूनतम मूल्य पर खुदरा श्रेणी में मांग अधिक हो, तो आबंटन समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।
- 3.8 खुदरा तथा गैर-खुदरा हिस्से के लिए संकेतात्मक मूल्य अलग-अलग प्रदर्शित किया जाएगा।
- 3.9 विक्रेता शेयरों की बिक्री की मंशा T-2 दिन को अधिक से अधिक 5.00 बजे तक स्टॉक एक्सचेंज को घोषित करेगा (T दिन ओएफएस का दिन हो)। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सूचना की प्राप्ति के तुरंत बाद बाजार को सूचना दी जाएगी।
- 3.10 न्यूनतम मूल्य का खुलासा हो जाने की दशा में विक्रेता T-1 दिन को अधिक से अधिक 5.00 बजे तक स्टॉक एक्सचेंज को न्यूनतम मूल्य की जानकारी देगा। स्टॉक एक्सचेंजें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस सूचना की प्राप्ति के तुरंत बाद बाजार को दे दी जाए।
- 3.11 विक्रेता खुदरा निवेशकों को छूट की पेशकश कर सकता है। खुदरा निवेशकों के लिए छूट तथा आरक्षण की प्रतिशतता के ब्यौरे की सूचना अग्रिम में ओएफएस के नोटिस में एक्सचेंज को दी जाएगी।
- 3.12 खुदरा निवेशकों को छूट की पेशकश निम्न प्रकार की जा सकती है:-

मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस ओएफएस -

- 3.12.1 खुदरा निवेशकों को शेयरों का आबंटन खुदरा श्रेणी में निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर छूट देकर किया जा सकता है, चाहे उन्होंने किसी भी मूल्य पर बोली लगाई हो, या
- 3.12.2 खुदरा निवेशकों को उस मूल्य पर छूट देकर शेयरों का आबंटन किया जा सकता है, जिस मूल्य पर उन्होंने बोली लगाई हो।

सिंगल क्लियरिंग प्राइस ओएफएस -

- 3.12.3 खुदरा निवेशकों को खुदरा श्रेणी में निर्धारित कट ऑफ मूल्य पर छूट देकर शेयर आबंटित किए जाएंगे।
- 3.13 ऊपर दी गई दोनों पद्धतियों के मामले में छूट प्राप्त मूल्य, जो खुदरा निवेशकों के लिए अंतिम आबंटन मूल्य होगा, न्यूनतम मूल्य से कम हो सकता है।

4. तदनुसार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 के ओएफएस संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 1, 2, 5 और 7 संशोधित हो जाते हैं। दिनांक 18 जुलाई, 2012 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/18/2012, दिनांक 25 जनवरी, 2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/04/2013 और दिनांक 30 मई, 2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/17/2013 में सन्निहित ओएफएस ढांचे के माध्यम से शेयरों की बिक्री हेतु अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. स्टॉक एक्सचेंजों को यह सलाह दी जाती है कि :

5.1 आवश्यक कदम उठाएं और इस परिपत्र के जारी होने के तारीख से 3 सप्ताह के अंदर उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करें।

5.2 उपर्युक्त पैराग्राफ 3.9 और 3.10 के कार्यान्वयन के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाएं।

5.3 उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक उप-नियमों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करें।

5.4 इस परिपत्र के उपबंधों को स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य ब्रोकरों के ध्यान में लाएं और अपनी वेबसाइट पर इसका प्रचार भी करें।

6. यह परिपत्र भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिन, 1992 के खंड 11(1) के अधिन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, ताकि प्रतिभूतियों में

निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जा सके और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसे विनियमित किया जा सके।

भवदीय,

मनिन्दर चीमा

उप महा प्रबंधक

ईमेल : maninderc@sebi.gov.in